आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

बनाम

आय-कर अधिकारी व अन्य

[पी. बी. गजेन्द्रगढ़कर, सी. जे., के. एन. वांचू, जे. सी. शाह, एन. राजगोपाला अयंगर व एस. एम. सिकरी जे.जे.]

आय-कर- क्या राज्य सड़क परिवहन निगम की आय, राज्य की आय है- क्या वह छूट प्राप्त है-भारत का संविधान, अनुच्छेद 289 - आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) एस. 22 .

आय-कर अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 1) ने एस. 22 आय-कर अधिनियम के तहत अपीलार्थी को एक नोटिस दिया। नोटिस मिलने पर अपीलार्थी आयकर अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ। अपीलार्थी ने आय-कर अधिकारी के समक्ष अनुरोध किया कि वह एस. 3 आय-कर अधिनियम के तहत किसी भी पांच श्रेणियों की कर निर्धारिती के अंतर्गत नहीं आता है। अपीलार्थी ने यह तर्क भी दिया कि यह एक स्थानीय प्राधिकरण है जिसे आय कर से छूट दी गई है। इन सभी दलीलों को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा इस परिणाम के साथ खारिज कर दिया गया कि मूल्यांकन के आक्षेपित आदेश पारित किए जा चुके हैं।

अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर की जिसमें उसने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित मूल्यांकन के आक्षेपित आदेशों को चुनौती दी है। अपनी रिट याचिकाओं में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित मूल्यांकन आदेशों को रद्द करने के लिए आदेश, रिट या अन्य उचित निर्देश दिया जाने हेतु (अधियाचित किया)। उच्च न्यायालय ने इन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी अनुच्छेद 289(1) के तहत छूट का दावा नहीं कर सकता है। क्योंकि यह राज्य के स्वामित्व वाला निगम नहीं था। उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत एक प्रमाण पत्र प्रदान किया और इसलिए यह अपील की गई।

अभिनिर्धारित किया: (i) संविधान के अनुच्छेद 289 में तीन खंड हैं। पहला खंड किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट प्रदान करता है।

खंड (2) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से संचालित कोईइ व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय, जो खंड (1) के तहत कर योग्य नहीं है, पर कर लगाया जा सकता है, बशर्ते संसद द्वारा इस संबंध में एक कानून बनाया गया हो। अन्य शब्दो में खंड (2) खंड (1) के लिए एक अपवाद है।

खंड (3) संसद को सशक्त करता है कि वह कानून द्वारा किसी भी व्यापार या व्यवसाय को खंड (2) के दायरे से बाहर कर खंड (1) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पुनः स्थापित यह घोषणा करते हुए कर सकता है कि उक्त व्यापार या व्यवसाय सरकार के सामान्य कार्यों के लिए आकस्मिक है अन्य शब्दों में खंड (3) खंड (2) द्वारा निर्धारित अपवाद का एक अपवाद है

(ii) निगम (अपीलार्थी) द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधि राज्य विभाग द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधि नहीं है और न ही यह किसी राज्य की ओर से नियुक्त किए गए की उसके अभिकर्ता द्वारा जाने वाली व्यापारिक गतिविधि है क्योंकि कानून के अनुसार निगम का अपना एक व्यक्तित्व है और यह व्यक्तित्व राज्य या अन्य शेयरधारकों से अलग है।

आक्षेपित अधिनियम के सभी प्रासंगिक प्रावधान भी निगम के अलग व्यक्तित्व को दृढ़ता से सामने लाते हैं। अधिनियम की धारा 30 भी यह सुझाव नहीं देती है कि निगम की आय राज्य की आय है। धारा 30 केवल यह आवश्यकता है कि उस आय का एक हिस्सा सड़क विकास के विशिष्ट उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को न्यस्त किया सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा अपनी व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त आय को अनुच्छेद 289 के खंड (1) या खंड (2) के तहत राज्य की आय नहीं कहा जा सकता है।

राज्य एजेंसियों की प्रतिरक्षा या संघीय कराधान के वाद्य विषयक का अमेरिकी सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। अकादासी पधान बनाम उड़ीसा राज्य [1963] पूरक 2 एस. सी. आर 691, प्रतिष्ठित।

मार्क ग्रेट्स, जॉन जे. मेरिल व जॉन पी. हेनेसी बनाम न्यूयॉर्क राज्य के लोग, जेम्स बी. ओ 'कीफे के संबंध में, 83 (लाॅ) कानून. एड। 927 और क्लैलन काउंटी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, 68 लॉ एड। 328 , लागू नहीं।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ [1964] 1 एस. सी. आर. 371, पर निर्भर किया।

एम 'कुलोच बनाम मैरीलैंड, (1819) 4 व्हीट 316, बैंक ऑफ टोरंटो बनाम। लैम्बे (1887) 12 ए. सी. 575 और वेब बनाम आउट्रिम [1907] ए. सी. 81, संदर्भित किया गया।

टैमलिन बनाम हैनसफोर्ड, [1950] के. बी. 18, पर निर्भर किया।

(iii) यह अधिनियम के लिए प्रावधान करना शायद ही आवश्यक हो कि कर यदि प्रभार्य हो, तो उसका भुगतान किया जाएगा। वास्तव में, कंपनी अधिनियम जो कंपनियों से संबंधित है, ऐसा विशिष्ट प्रावधान नहीं बनाता है, हालांकि कोई भी गंभीरता से यह सुझाव नहीं दे सकता है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और आय-कर अधिनियम के बीच विरोधाभास होगा आयकर अधिनियम की प्रभारित धारा और धारा 29 व 30 के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। आक्षेपित अधिनियम की धारा 29

और धारा 30 का उद्देश्य निगम में निहित निधियों के प्रशासन और उनके निपटारे के लिए प्रावधान करना है। उक्त प्रावधान आयकर अधिनियम द्वारा अधिरोपित करके भ्गतान करने के दायित्व से असंगत नहीं हैं।

सिविल अपीलीय ज्यूरीडिक्शन: सिविल अपील संख्या- 475 से 478/ 1963

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या- 475 से 478/ 1963 अपील लिखित याचिका सं. 1960 के 516 से 519 तक 14 जुलाई, 1961 के आदेश के खिलाफ

डी. नरसाराजू, महाधिवक्ता, आंध्र प्रदेश, पी. आर.रामचंद्र राव और टी. वी. आर. टाटाचारी, अपीलार्थी की ओर से (सभी अपीलें में)

के. एन. राजगोपाल शास्त्री, गोपाल सिंह और आर. एन. सचथे, प्रत्यर्थीयों के लिए (सभी अपीलों में)।

राजेश्वरी प्रसाद और एस. पी. वर्मा, इंटरवीनर सं. 1 के लिए (सभी अपीलों में)।

बी. सेन, एस. सी. बोस और पी. के. बोस, इंटरवीनर सं. 2 के लिए (सभी अपीलों में)।

एम. सी. सीतलवाइ, एस. सी. बोस और पी. के. बोस, इंटरवीनर सं. 3 के लिए (सभी अपीलों में)। 5 मार्च, 1964. न्यायालय का निर्णय दिया गया इनके द्वारा -

गजेन्द्रगढ़कर, सी. जे.- ये चार अपीलें अपीलार्थी, आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में आयकर अधिकारी और अपीलीय सहायक आयकर आय्क्त, हैदराबाद , प्रत्यर्थी संख्या क्रमशः 1 और 2 के विरूध दायर रिट याचिकाएं से उत्पन्न हुइ हैं। जिसमें उसने उन्हें कोई भी कर एकत्र करने या उनके विरूध भारतीय आयकर अधिनियम के तहत कोई भी कार्यवाही करने से रोकने के लिये निषेधाज्ञा की रिट का दावा किया था। अपनी रिट याचिकाओं में, अपीलार्थी ने 29 फरवरी, 1960 को वर्ष 1958-59 और 1959-60 के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित मूल्यांकन आदेशों को रद्द करने के लिये आदेश, रिट या अन्य उचित निर्देश का दावा किया । पहले वर्ष के लिए, रु. 13,60, 963.86 का कर एन. पी. 11-1-1958 से 31-3-1958 तक की अवधि के लिए लगाया गया है, और बाद के वर्ष के लिए, रु. 34,44, 430.48 का कर एन. पी. 1-4-1958 से 31-3-1959 तक अवधि के लिए लगाया गया है। पक्षकारों को स्नने के बाद उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की रिट याचिकाओं को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया है। अपीलार्थी ने तब आवेदन किया और उच्च न्यायालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया और यह उक्त प्रमाण पत्र के साथ है कि ये चार अपीलें इस न्यायालय के समक्ष लायी गयी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की स्थापना सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का सं. 64)(इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) के अधीन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के तहत की गई थी और यह 11 जनवरी, 1958 से प्रभाव में आने के बाद से कार्य कर रही है। अपीलार्थी निगम के गठन से पहले सड़क परिवहन हैदराबाद सरकार सरकार का एक विभाग था और हैदराबाद का आंध्र प्रदेश के साथ एकीकरण के बाद, इसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। इस पूरी अवधि के दौरान ,सड़क परिवहन को आयकर से मुक्त माना गया। हालाँकि ,अपीलार्थी निगम के गठन के बाद , आयकर विभाग ने यह विचार किया कि अपीलार्थी द्वारा अर्जित की गई आय कर के लिए उत्तरदायी थी, और इसलिए , आयकर अधिनियम की धारा 22 के तहत अपीलार्थी को एक नोटिस दिया गया था। 29 जनवरी , 1959. नोटिस की तामील के बाद की गई कार्यवाही के अन्सरण में , मूल्यांकन के आक्षेपित आदेश पारित किए गए। आयकर अधिकारी के समक्ष, अपीलार्थी द्वारा यह आग्रह किया गया था कि चूंकि अपीलार्थी सड़क परिवहन का व्यवसाय करने वाला एक स्वतंत्र निकाय है, इसलिए यह आयकर की धारा 3 के तहत निर्धारिती की पांच श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है। अधिनियम के अन्सार, यह न तो एक व्यक्ति था, न ही एक हिंदू अविभाजित परिवार, न ही एक फर्म,न ही एक कंपनी, न ही व्यक्तियों का एक संघ, और चूंकि यह निर्धारितियों की उक्त पांच श्रेणियों के बाहर था, इसलिए इसके विरूध कोई कर नहीं लगाया जा सकता था। आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की शुद्ध आय अंततः अधिनियम की धारा 30 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को जाती है, और इस तरह यह संविधान के अनुच्छेद 289 के तहत केंद्रीय कराधान से मुक्त थी।

याचिका के समर्थन में एक और तर्क उठाया गया था कि प्रत्यर्थी नंबर 1 द्वारा जारी किया गया नोटिस अमान्य था, और वह यह था कि अपीलार्थी आयकर से मुक्त एक स्थानीय प्राधिकारी था। इन सभी तर्कों को प्रत्यर्थी नंबर 1 द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन के आक्षेपित आदेश पारित हो गए। इन आदेशों की वैधता को अपीलार्थी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने माना है कि अपीलार्थी राज्य के स्वामित्व वाला निगम नहीं है और यह सरकार की ओर से व्यवसाय नहीं कर रहा है। यह भी देखा गया है कि अपीलार्थी जो व्यापार या व्यवसाय कर रहा था वह सरकार के सामान्य कार्यों के लिए आनुषांगिक नहीं था, और चूंकि अनुच्छेद 289(3) के तहत उस आशय की कोई घोषणा नहीं की गई थी, अपीलार्थी अनुच्छेद 289(1) पर भरोसा नहीं कर सकता था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का एक स्थानीय प्राधिकारी होने का तर्क आग्रह करने पर उसे खारिज कर दिया गया और यह तर्क कि आयकर अधिनियम की चार्जिंग धारा अधिनियम के भौतिक प्रावधानों, जैसे धारा

28, 29 और 30 के प्रतिकूल थी, उच्च न्यायालय द्वारा इसे भी बिना किसी आधार के अभिनिर्धारित किया गया था। इस प्रकार, चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाआें में अपीलार्थी द्वारा दिए गए किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया गया था, इसे खारिज कर दिया गया।

अपीलार्थी की ओर से आंध्र प्रदेश के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा हमारे सामने मुख्य बिंदू यह रखा गया है कि वह आय जिसके संबंध में मूल्यांकन का आक्षेपित आदेश प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित किया गया है, संविधान का अनुच्छेद 289(1) के तहत संघ कराधान से मुक्त है, और यह अनुच्छेद के तीन खंडों के प्रावधान के निर्माण और प्रभाव के बारे में प्रश्न उठाता है। उक्त अनुच्छेद की व्याख्या करें:-

- "289. (1) किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट दी जाएगी।
- (2) खंड (1) में कुछ भी संघ को किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय के संबंध में संसद द्वारा कानून द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सीमा तक कोई भी कर लगाने, या लगाने का अधिकार देने से नहीं रोके गा, या किसी राज्य की सरकार की ओर से, या उससे जुड़े किसी भी

संचालन, या उपयोग की गई या कब्जा की गई किसी संपति या उसके संबंध में अर्जित या उत्पन्न होने वाली कोई आय।

(3) खंड (2) में कुछ भी नहीं किसी भी व्यापार या व्यवसाय या व्यापार या व्यवसाय केकिसी भी वर्ग पर लागू होगा, जिसे संसद कानून द्वारा सरकार के सामान्य कार्यों के लिए आकस्मिक घोषित कर सकती है।"

विद्वान महाधिवक्ता मानते हैं कि अपीलार्थी द्वारा की गई परिवहन गतिविधि सरकार के सामान्य कार्यों के लिये बिल्कुल भी आनुसंगिक नहीं है यह सच है कि एक आध्निक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में सरकार को कई आर्थिक गतिविधियाँ चलानी होती हैं जिनमें से क्छ व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, जबिक अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं क्योंकि कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि सरकार अपने नागरिकों के आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में मदद करे। ये सामाजिक - आर्थिक गतिविधियाँ कितनी भी वांछनीय क्यों न हों, इन्हें श्रू करने का राज्य सरकार का प्रयास कितना भी वैध क्यों न हो , इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है किअनुच्छेद 289 (3) के संदर्भ में सरकार के सामान्य कार्यों को इन सामाजिक -आर्थिक गतिविधियों से अलग किया जाना चाहिए। हालाँकि, महाधिवक्ता, का यह आग्रह है कि यद्यपि अपीलकर्ता की व्यापारिक गतिविधियाँ सरकार के सामान्य कार्यों से

भिन्न हो सकती हैं, फिर भी वे अनुच्छेद 289(1) में शामिल हैं और अपीलकर्ता द्वारा उक्त गतिविधियों से प्राप्त आय अनुच्छेद 289(1) के संरक्षण में आती है।

यह तर्क इस धारणा पर आधारित है कि अनुच्छेद 289 का खंड (2) अनुच्छेद 289 खंड (1) का अपवाद या परंतुक है। और इस प्रकार , जो कुछ भी खंड (2) में शामिल है उसे खंड (1) में भी शामिल माना जाना चाहिए। अन्यथा परन्तुक की तार्किक व्याख्या नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि खंड 2 के संदर्भ में यह उपबंध करना आवश्यक है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा की गई उक्त व्यापारिक या वाणिज्यिक गतिविधियाँ खंड (1) द्वारा निर्धारित छूट के लाभ का दावा नहीं करेंगी। इस प्रकार महाधिवक्ता खंड (2) में उल्लिखित व्यापारिक या व्यावसायिक गतिविधियों को खंड (1) में शामिल करना चाहते हैं। तार्किक रूप से , इस इष्टिकोण में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

महाधिवक्ता द्वारा आग्रह किए गए तर्क में अगला चरण यह है कि खंड (2) अपीलकर्ता द्वारा की गई व्यापारिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता की गतिविधियों को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई वाणिज्यिक गतिविधियों के रूप में माना जा सकता है। खंड (2) किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय को

संदर्भित करता है। तर्क यह है कि खंड का पहला भाग सरकार द्वारा किए गए व्यापार या व्यवसाय को संदर्भित करता है और इसका मतलब है सरकार द्वारा या तो विभागीय रूप से या इस संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त एजेंटों द्वारा व्यापार या व्यवसाय किया जाता है। चाहे व्यवसाय विभाग चलाता हो या विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कोई एजेंट इसे चलाता हो, यह राज्य द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय है।

खंड का उत्तरार्द्ध भाग किसी राज्य की सरकार की ओर से किए गए व्यापार या व्यवसाय को संदर्भित करता है और यह स्झाव दिया जाता है कि खंड के इस भाग का उद्देश्य अपीलकर्ता जैसे निगम द्वारा किए गए व्यापार या व्यवसाय को लेना है जो या तो राज्य के स्वामित्व वाला या राज्य द्वारा नियंत्रित है। अपीलकर्ता निगम का कहना है कि महाधिवक्ता निस्संदेह राज्य द्वारा नियंत्रित है और वह स्झाव देगा कि इसका स्वामित्व आंध्र प्रदेश राज्य के पास भी है। इसलिए, अपीलकर्ता दवारा की गई व्यावसायिक गतिविधि को आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से की गई गतिविधि माना जाना चाहिए, और यह इस अभिधारणा के साथ पुनः अन्च्छेद 289 (1) के तर्क पर वापस आ जाता है और आग्रह करता है कि अपीलार्थी को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये उसकी और से संचालित व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त आय को संघ काराधन से छूट प्राप्त हो।

इस तर्क के समर्थन में, महाधिवक्ता ने अकादसी पधान बनाम उड़ीसा राज्य व अन्य में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर निर्भर किया है। उस मामले में, इस न्यायालय के पास अन्च्छेद 19 (6) में निहित प्रावधानों के दायरे और प्रभाव पर विचार करने का अवसर था। अन्च्छेद 19(6) राज्य को, अन्य बातों के अलावा, राज्य द्वारा या किसी निगम स्वामित्व दवारा या राज्य दवारा नियंत्रित किसी भी व्यापार, व्यवसाय , उद्योग या सेवा से संबंधित कोई भी कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है , चाहे वह किसी नागरिकों या अन्यथा पूर्ण या आंशिक रूप से निषेध हो। अकाडसी पधान के मामले में विचार करने योग्य बिंद्ओं में से "राज्य द्वारा किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने से संबंधित एक कानून" के शब्दों का क्या प्रभाव था का एक बिंदु था। इस प्रश्न पर गौर करते ह्ए इस न्यायालय ने माना कि हालांकि सामान्य तौर पर, खंड में निर्दिष्ट व्यापार राज्य द्वारा विभागीय रूप से या उसकी ओर से निय्क्त लोक सेवक की सहायता से किया जाएगा, कुछ व्यापार या व्यवसाय के मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें राज्य को एजेंटों की सेवा लेने के लिए तत्पर होना चाहिए, बशर्ते एजेंट राज्य की ओर से काम करें, न कि अपने लिए।

इस निर्णय पर निर्भर करते हुए, महाधिवक्ता का तर्क है कि जब अनुच्छेद 289 का खंड (2) किसी राज्य की सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यापार या व्यवसाय को संदर्भित करता है, तो इसमें सरकार द्वारा या तो विभागीय रूप से या उसकी ओर से नियुक्त एजेंटों की सहायता से किया जाने वाला व्यापार या व्यवसाय शामिल है, और इसलिए उनका तर्क है कि व्यापार करने की इन दो श्रेणियों को पहले भाग में शामिल किया गया है, दूसरे भाग में जिसे शामिल करने का इरादा है वह अपीलकर्ता जैसे निगम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यापार या व्यवसाय है और इसलिए अपीलकर्ता द्वारा किया गया व्यापार या व्यवसाय अनुच्छेद 289 (2) के अर्थ के तहत आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से किया गया व्यापार या व्यवसाय है और यह अनुच्छेद 289 (1) के तहत राज्य की उक्त व्यापार या व्यवसाय के अर्थ के तहत आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से किया गया

संक्षेप में, यह तर्क वास्तव में संघीय कराधान से राज्य एजेंसियों या उपकरणों की प्रतिरक्षा के अमेरिकी सिद्धांत पर आधारित है। जब इस सिद्धांत को अमेरिकी निर्णय द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तो यह आम तौर पर ऐसी राज्य एजेंसियों के लिए निहित था जो उन कार्यों से संबंधित थे जो अनिवार्य रूप से चरित्र में सरकारी थे। लेकिन, महाधिवक्ता का कहना है कि जब अनुच्छेद 289 (2) के बाद से अपीलकर्ता की तरह एक निगम द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियों को शामिल करता है, तब यह सवाल अप्रासंगिक हो जाता है कि व्यापार आवश्यक रूप से केवल सरकारी हो। अपने तर्क के समर्थन में महाधिवक्ता ने दो अमेरिकी निर्णयों पर निर्भर किया है; इनमें से पहला मार्क ग्रेव्स जॉन जे ., मेरिल और जॉन पी. हेनेसी बनाम जेम्स बी. ओ कीफ के संबंध में, न्यूयॉर्क राज्य के लोग है। उस मामले में स्टोन जे., जिन्होंने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की

और से पक्ष रखते हुए यह माना है कि जब राष्ट्रीय सरकार कानूनी रूप से एक निगम के माध्यम से जिसका स्वामित्व और नियंत्रण उसके पास है कार्य करती है, तो वे गतिविधियां एक सरकारी कार्य है, जिन्हें वो सब कर छूट की अधिकारिता है जब ऐसी गतिविधियां सरकार द्वारा स्वयं अपने विभागों के माध्यम से चलाईइ जाती है।

दूसरे शब्दों में, यह विचार यह दर्शाता है कि न्यायालय इस बात की और प्रभावित था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कराधान से छूट का दावा करने के उद्देश्य के लिये, गतिविधियों का संचालन राज्य द्वारा विभागीय रूप से किया गया या निगम की सहायता से किया गया था।

क्लैलम काउंटी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका में ,अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि कोई राज्य, संघीय सरकार द्वारा आयोजित निगम की उस संपति पर कर नहीं लगा सकता है जो युद्ध उद्देश्यों के लिए सामग्री उत्पादित करता हो और जिसकी संपत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के पैसे से खरीदी या उसके पास से पहुंचाई जाती है और जो केवल इसके निर्माण के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग किया जाता है। होम्स, जे., जिन्होंने न्यायालय की राय दी, ने इस तथ्य पर जोर दिया कि न्यायालय के समक्ष मामले में न के वल एजेंट बनाया गया था, बल्कि एजेंट की सभी संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था और युद्ध के लिए हथियार बनाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था। "यह

एक निगम के मामले की तरह नहीं है, विद्वान न्यायाधीश ने यह कहा कि,

"इसके अपने उद्देश्यों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के भी उद्देश्य हैं, और अपने स्वयं के के लाभ में रुचि रखते हैं। एक नए व्यक्तित्व का समावेश और औपचारिक निर्माण केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की सुविधा के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए था और अब इस पर विचार करना अनावश्यक है कि क्या यह तथ्य कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सभी स्टॉक का स्वामित्व था और उसने सारी संपत्ति निगम को सौंप दी थी, जो मामले को उस नियम की नीति के अंतर्गत लाने के लिए पर्याप्त होगा जो संयुक्त राज्य की संपत्ति को छू ट देता है।"

ये दोनों निर्णय हमें इस प्रश्न का निर्धारण करने में सहायता नहीं करेंगे कि क्या अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त आय अनुच्छेद 289 (1) के अर्थ के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य की आय है क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा हमारे सामने जो समस्या उठाई गई है कि उसका कराधान से छूट के दावों का निर्णय किसी भी शैक्षिक विचार पर नहीं, बल्कि अनुच्देद 289 के आधार पर करना चाहिए। अनुच्छेद 289 (1) किसी राज्य की संपत्त और आय को संघ कराधान से छूट देता है और महाधिवक्ता केवल तभी सफल हो सकता

है जब वह यह स्थापित करने में सक्षम हो कि अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त आय जिसके संबंध में आक्षेपित मूल्यांकन आदेश पारित किया गया है वह आंध्र प्रदेश राज्य की आय है। इसलिए, अमेरिकी सिद्धांत जिस पर महाधिवक्ता द्वारा मजबूत निर्भरता रखी गई थी, उनके मामले में कोई सहायता नहीं करेगा। यदि अपीलकर्ता द्वारा की गई व्यापारिक गतिविधि को केवल अनुच्देद 289 (2) के आधार पर अनुच्देद 289 (1) में लाना चाहते है तो वह परीक्षण, जिस पर महाधिवक्ता के तर्क की वैधता को आवश्यक रूप से आंका जाना चाहिए, यह है कि क्या अनुच्छेद 289 (1) की आवश्यकता पूरी होती है या नहीं और वह आवश्यकता स्पष्ट रूप से यह है कि जिस संपत्ति की आय को संघ कराधान से छूट का दावा करना है वह किसी राज्य की आय या संपत्ति होनी चाहिए।

इसके अलावा, एक और कारण है कि महाधिवक्ता राज्य उपकरणों के संबंध में कराधान से छूट के अमेरिकी सिद्धांत से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उक्त सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। न्यायालय के बहुमत की और से बोलते हुए, सिन्हा सीजे ने कहा कि एम' कल्लोच बनाम मैरीलैंड में मार्शल, सीजे की टिप्पणियों को प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्णायक रूप से खारिज कर दिया गया है इसलिये उस टिप्पणियों से उत्पन्न होने वाले उपकरणों की प्रतिरक्षा के सिद्धांत का पुनरुत्थान का प्रयास करना व्यर्थ हो चुका है क्योंकि यह कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई

संविधान के तहत राज्य और केंद्र की संबंधित शक्तियों की व्याख्या करने के लिए अनुपयुक्त है और व्यावहारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसे छोड़ दिया गया है।

यह हम पहले ही देख चुके हैं कि अनुच्छेद 289 में तीन खंड हैं , पहला खंड किसी राज्य की संपत्ति और आय पर संघ कराधान से छूट प्रदान करता है। 1962 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में इन री सी कस्टम्स एक्ट की धारा 20 (2) में इस न्यायालय की एक विशेष पीठ ने बहुमत से माना है कि राज्यों को दी गई छूट के संबंध में अनुच्छेद 289 के तहत संघ कराधान निर्यात शुल्क या उत्पाद शुल्क सहित सीमा शुल्क पर लागू नहीं होता है। उस मामले में निर्णय के लिए सीधे तौर पर जो प्रश्न उठा, वह कराधान की प्रकृति के दायरे और प्रभाव को निर्धारित करना था जिससे अनुच्छेद 289(1) के तहत किसी राज्य की संपत्ति और आय द्वारा छूट का दावा किया जा सकता था। हालाँकि, वर्तमान अपीलें उक्त मामले के उस पहलू से सम्बन्धित नहीं हैं।

अनुच्छेद 289 की योजना से ऐसा प्रतीत होता है कि आम तौर पर किसी राज्य द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी या वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त आय संघ द्वारा लगाए गए आयकर से मुक्त होगी, बशर्ते की प्रश्नगत आय को राज्य की आय कहा जा सकता है। यह सामान्य प्रस्ताव खंड (1) से प्रवाहित होता है।

खंड (2) तब एक अपवाद प्रदान करता है और संघ को किसी राज्य की सरकार के स्वयं द्वारा या उसकी ओर से किए गए व्यापार या व्यवसाय से प्राप्त आय के संबंध में कर लगाने के लिए अधिकृत करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी राज्य की सरकार या उसकी ओर से किए गए व्यापार या कारोबार से होने वाली आय जो खंड (1) के तहत कर योग्य नहीं होती उस पर कर लगाया जा सकता है बशर्ते कि संसद दवारा इस संबंध में एक कानून बनाया गया हो। यदि खंड (1) अपने आप में कायम होता तो किसी राज्य द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त आय को इसके दायरे में शामिल करना आसान नहीं होता ,लेकिन चूंकि खंड (2) संसद को किसी राज्य द्वारा या उसकी ओर से की जाने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों पर कर लगाने के लिए एक कानून बनाने का अधिकार देता है ,यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि इन गतिविधियों को खंड (1) में शामिल माना गया था और यह अकेला इसका स्पष्टीकरण है कि खंड (2) उसी रूप में संविधान द्वारा अपनाया गया है। यह भी स्पष्ट है कि खंड (2) इस आधार पर आगे बढ़ता है कि इसके प्रावधान के लिए , इसके दवारा सम्मिलित की गई व्यापारिक गतिविधि ने खण्ड(1) के तहत संघ कराधान से छूट का दावा किया होगा। यह खण्ड (1) (2) को संयुक्त रूप से पढ़ने का परिणाम है।

खंड (3) तब संसद को कानून द्वारा यह उद्घोषित करने का अधिकार देता है कि किसी भी व्यापार या व्यवसाय को खण्ड(2) के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा और खण्ड(1) द्वारा सिम्मिलित किए गए क्षेत्र में इस उद्घोषणा के साथ बहाल किया गया है कि उक्त व्यापार या व्यवसाय सरकार के सामान्य कार्यों के लिए प्रासंगिक है। दूसरे शब्दों में खण्ड (3) खण्ड(2) द्वारा निर्धारित अपवाद का अपवाद है। जो भी व्यापार या व्यवसाय सरकार के सामान्य कार्यों को आनुषांगिक घोषित किया जाता है, वह खण्ड(2) द्वारा शासित होना बंद हो जाएगा और फिर संघ कराधान से छूट दी जाएगी। मुख्य तौर पर यह कहा गया है कि यह अनुच्छेद 289 के तीन खंडों द्वारा अपनाई गई योजना का परिणाम प्रतीत होता है।

तीनों खंडों को एक साथ पढ़ने पर, सभी संदेह से परे एक विचार सामने आता है और वह यह है कि संपत्ति के साथ साथ वह आय जिसके संबंध में खण्ड(1) के तहत छूट का दावा किया गया है वह राज्य की संपत्ति और आय होनी चाहिये,और इसलिए वही प्रश्न फिर से हमारे सामने है कि क्या अपीलार्थी द्वारा अपनी परिवहन गतिविधियों से प्राप्त आय राज्य की आय है? यदि कोइ व्यापार या व्यवसाय जो राज्य द्वारा विभागीय तौर पर किया जाता है और उससे आय प्राप्त होती है, तो यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि उक्त आय राज्य की आय है। यदि कोई व्यापार या व्यवसाय किसी राज्य द्वारा विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए नियुक्त एजेंटों के माध्यम से किया जाता है और एजेंट इसे पूरी तरह से राज्य की ओर से करते हैं, न कि अपने स्वयं के लिये, तो यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि इस तरह से व्यापार या व्यवसाय से प्राप्त

की गइ राज्य की आय है। लेकिन किठनाइयाँ तब उत्पन्न होती हैं जब हम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक अधिस्चना जारी करके किसी राज्य द्वारा स्थापित निगम द्वारा किए गए व्यापार या व्यवसाय से निपट रहे होते हैं। निगम,हालांकि वैधानिक है, उसका अपना एक व्यक्तित्व है और यह व्यक्तित्व राज्य या अन्य शेयरधारकों से अलग है। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई शेयरधारक निगम की संपत्ति का मालिक है या उस व्यवसाय को करता है जिससे निगम संबंधित है। यह सिद्धांत कि एक निगम की अपनी एक अलग कान्नी इकाई होती है, सामान्य कान्न से प्राप्त हमारी धारणाओं में इतनी दृढता से निहित है कि इसके साथ विस्तृत रूप से निपटना शायद ही आवश्यक है; और इसलिए प्रथम दृष्टया अपीलार्थी द्वारा अपनी व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त आय का दावा राज्य, जो निगम के शेयरधारकों में से एक है, द्वारा नहीं किया जा सकता है।

यह हो सकता है कि जिस क़ानून के तहत अपीलार्थी निगम के गठन की अधिसूचना जारी की गई है, वह स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा उपबंध कर सकता है कि निगम द्वारा अपनी व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त आय राज्य की आय होगी। निगम की अलग इकाई या व्यक्तित्व का सिद्धांत हमेशा उन अपवादों के अधीन होता है जो क़ानून बना सकते हैं और यह अलग बात होगी कि यदि कोई वैधानिक प्रावधान है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि निगम की अलग व्यक्तित्व की अवधारणा के बावजूद, इसके द्वारा किया जाने वाला व्यापार उन शेयरधारकों होता है

जिन्होंने निगम को अस्तित्व में लाया और उक्त व्यापार से प्राप्त आय भी उन्हों की है। तब यह निर्धारित करना मुमिकन होगा कि विर्निदिष्ट वैधानिक प्रावधान के परिणामस्वरूप जो आय निगम के द्वारा व्यापार करने से प्राप्त होती है, वह शेयरधारकों की होगी जिनके द्वारा निगम को अस्तित्व में लाया गया है और इसिलये यह निर्धारित करने के लिये कि हस्तगत प्रकरण में आय को आंध्र प्रदेश राज्य की आय कहा जा सकते है या नहीं, हमें इस अधिनियम की और देखना होगा।

इस संबंध में, हम टैमिलन बनाम हैनसाफोर्ड, में लॉर्ड डेनिंग द्वारा की गई टिप्पणियों को उपयोगी रूप से संदर्भित कर सकते हैं: "कानून की नजर में, "लॉर्ड डेनिंग ने कहा, "निगम अपना स्वामी है और किसी भी अन्य व्यक्ति या निगम की तरह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। यह क्राउन नहीं है और इसे क्राउन की कोई भी प्रतिरक्षा या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इसके सेवक सिविल सेवक नहीं हैं और इसकी संपित क्राउन की संपित नहीं है। यह संसद के अधिनियमो से उसी तरह से बाध्य है जिस तरह से राजा की अन्य प्रजा बाध्य होती है। बेशक, यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और इसके उद्देश्य निस्संदेह सार्वजनिक उद्देश्य हैं, लेकिन यह एक सरकारी विभाग नहीं है और न ही इसकी शक्तियाँ सरकार के प्रांत के अंतर्गत आती हैं।" इन टिप्पणियों से पता चलता है कि निगम द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधि राज्य द्वारा विभागीय तौर पर की जाने वाली व्यापारिक गतिविधि नहीं है और ना ही राज्य द्वारा नियुक्त एजन्टो द्वारा की गइ व्यापारिक गतिविधियां है।

यह हमें अधिनियम के प्रावधानों तक ले जाता है जो हमें इस प्रश्न का निर्धारण करने में सहायता करेगा कि क्या प्रश्नगत आय को वैध रूप से आंध्र प्रदेश राज्य की आय माना जा सकता है। यह अधिनियम सड़क परिवहन निगमों के निगमन और विनियमन के लिए पारित किया गया था। धारा 3 राज्य सरकार को पूरे राज्य या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए सडक परिवहन निगम को ऐसे किसी भी नाम से जो खंड (a), (b) or (c) को ध्यान में रखते ह्ए अधिसूचना में निर्दिष्ट है को स्थापित करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत करती है। धारा 4 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक निगम धारा 3 के तहत अधिस्चित नाम से एक निगमित निकाय होगा , जिसमें शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी , और उक्त नाम से या उसके विरुद्घ म्कदमा दायर किया जाएगा। धारा 5 सड़क परिवहन निगम के गठन से संबंधित है ;

उपखंड (3) निगम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के प्रितिनिधित्व को ऐसे अनुपात में प्रदान करता है जिस पर दोनों सरकार द्वारा सहमित हो और प्रत्येक सरकार द्वारा अपने स्वयं के प्रितिनिधियों को नामांकित किया जा सके ; इसमें यह भी विचार किया गया है कि यदि

अन्य पार्टियों को शेयर जारी करके पूंजी ज्टाई जाती है, तो ऐसे शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान करना होगा। धारा 17 सलाहकार परिषदों की निय्क्ति को अधिकृत करती है। धारा 18 निगम के सामान्य कर्तव्य निर्धारित करती है। धारा 23(1) निगम की पूंजी का प्रावधान करती है; इस उपधारा के तहत, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई पूंजी 1:3 के अन्पात में है। उपधारा (3) निगम की पूंजी को उतनी संख्या में शेयरों में विभाजित करने का अधिकार देती है जितनी राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है; और यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य पार्टियों द्वारा सब्सक्राइब किए जाने वाले शेयरों की संख्या भी केंद्र सरकार के परामर्श से राज्य सरकार दवारा निर्धारित की जाएगी। यह प्रावधान अन्य शेयरधारकों के राज्य सरकार और केंद्र सरकार में शामिल होने की संभावना पर विचार करता है। धारा 24 निगम की अतिरिक्त पूंजी ज्टाने की अन्मति देती है। धारा 25 के अन्सार निगम के शेयरों की मूल राशि के भ्गतान के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंंटी दी जाएगी और वार्षिक भ्गतान को ऐसी न्यूनतम दर पर विभाजित किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा तय की जा सकती है। धारा 26 निगम को उधार लेने की शक्तियाँ प्रदान करती है। धारा 27 निगम के एक कोष का गठन करती है। धारा 28 ब्याज और लाभांश के भ्गतान का प्रावधान करती है।

धारा 29(1) के अनुसार निगम को मूल्यहास , आरक्षित निधि और अन्य निधियों के लिए ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है जैसा कि राज्य सरकार समय - समय पर निर्देश दे सकती है। धारा 29(2) में प्रावधान है कि उक्त निधियों का प्रबंधन , समय - समय पर उसके खाते में जमा की जाने वाली राशि और उसमें शामिल धन का उपयोग निगम द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस उप - धारा में एक परंत्क है जो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इन निधियों के उपयोग को उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित करता है जिसके लिए इसे बनाया गया था। धारा30 श्द्ध लाभ के निराकरण से संबंधित है : इसमें कहा गया है कि धारा 28 व 29 के दवारा आवश्यक प्रावधान किए जाने के बाद निगम अपने श्द्ध वार्षिक लाभ के ऐसे प्रतिशत का उपयोग कर सकता है जो राज्य सरकार द्वारा उसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है, और इसमें कहा गया है कि शेष राशि में से, ऐसी राशि जो राज्य सरकार की पिछली मंजूरी के साथ हो सकती है और निगम दवारा इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उपयोग निगम के विस्तार कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है और अन्स्मारक, यदि कोई हो, तो वह सड़क विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। धारा 31 निगम को अधिनियम द्वारा प्राधिकृत वस्तुओं पर उतनी राशि खर्च करने की शक्ति देती है जितनी वह उचित समझे। धारा 32 बजट से संबंधित है, धारा 33 खातों और लेखापरीक्षा से संबंधित है; और धारा 34 में प्रावधान है कि निगम के साथ परामर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का निगम द्वारा पालन किया जाएगा और इसमें कहा गया है कि ऐसे निर्देशों में कर्मचारियों की भर्ती, सेवा की शर्तें और प्रशिक्षण, कर्मचारियों को भुगतान किया जाने वाला वेतन, आरक्षित रखा जाने वाला और इसके मुनाफे या स्टॉक के निराकारण से संबंधित निर्देश शामिल हो सकते हैं।

धारा 38 के तहत, राज्य सरकार को धारा 38(1) द्वारा निर्दिष्ट कारणों से निगम को अधिक्रमण करने की शक्ति प्रदान की गई है। अधिक्रमण पर, निगम में निहित सभी संपत्ति अधिक्रमण की अविध के दौरान राज्य सरकार में निहित हो जाती है; यह धारा 38 (2) (सी) का प्रभाव है। धारा 39 निगम के परिसमापन से संबंधित है और इस धारा के खंड(2) में प्रावधान है कि ऐसे परिसमापन की स्थिति में, देनदारियों को पूरा करने के बाद, यदि कोई हो, निगम की संपत्ति, केंद्र और राज्य सरकार और ऐसे अन्य दलों, यदि कोई हो, के बीच विभाजित उसी प्रकार से की जाएगी जैसा कि निगम की कुल पूंजी में उनमें से प्रत्येक द्वारा किए गए योगदान के अनुपात में पूंजी की सदस्यता ली गइ है। संक्षेप में, यह अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की स्थिति है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूंजी का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार द्वारा और एक छोटा हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा योगदान किया जाता है,

और इस अर्थ में, अधिकांश शेयर वर्तमान में राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि निगम एक राज्य - नियंत्रित निगम उसी अर्थ में है जिसमें कि सभी भौतिक चरणों में और सभी भौतिक विवरणों में , निगम की गतिविधि राज्य द्वारा नियंत्रित होती है; लेकिन यह स्पष्ट है कि अन्य सभी नागरिकों को शेयरधारकों के समूह में शामिल किया जा सकता है और उस दृष्टिकोण से , अधिनियम न केवल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बल्कि नागरिकों द्वारा निगम के लिए पूंजी के योगदान पर भी विचार करता है। इस स्तर पर हम जिस मुख्य बिंदु की जांच कर रहे हैं वह यह है: क्या अपीलकर्ता को उसकी व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त आय है, अनुच्छेद 289(1) के तहत राज्य की आय है? हमारी राय में इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए।

निगम की आय को राज्य की आय बनाने वाला कोई प्रावधान करना तो दूर , सभी प्रासंगिक प्रावधान निगम के अलग व्यक्तित्व को इदता से सामने लाते हैं और इसी आधार पर अग्रसर होते हैं कि व्यापारिक गतिविधि निगम द्वारा संचालित होती है और लाभ और व्यापारिक गतिविधि के परिणामस्वरूप होने वाली हानि निगम का लाभ और हानि होगी। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निगम के चेहरे से पर्दा हटाने का प्रयास करता हो और इस तरह शेयरधारकों को यह दावा करने में सक्षम बनाता हो कि संगठन ने जो रूप ले लिया है , उसके बावजूद , यह शेयरधारक ही हैं जो व्यापार चलाते हैं और जो दावा कर सकते हैं की

इससे होने वाली आय उनकी अपनी है। धारा 28 जो ब्याज के भुगतान का प्रावधान करती है, स्पष्ट रूप से एक तरफ निगम और दूसरी तरफ राज्य और केंद्र सरकार के बीच के द्वंद्व को सामने लाती है। उदाहरण के लिए, धारा 38 द्वारा अधिकृत निगम के अधिक्रमण के मामले को लें तो धारा 38 (2) (सी) इस तथ्य को दृढ़ता से सामने लाती है कि संपत्ति वास्तव में निगम में निहित है क्योंकि यह प्रावधानित है कि अधिक्रमण की अविध के दौरान, यह संपत्ति राज्य सरकार में निहित हांगी।

इसी प्रकार धारा 39(2) जो परिसमापन की स्थिति में परिसंपत्तियों के वितरण से संबंधित है, भी यही विशेषता सामने लाता है। महाधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि धारा 50 इसकी परिकल्पना करता है की धारा 28 और 29 के द्वारा अपेक्षित प्रावधान किए जाने के बाद और धारा 30 द्वारा निधि का निर्धारित अन्सार उपयोग किया जाता है, शेष राशि सड़क विकास के उददेश्य से राज्य सरकार को दी जाती है और यह दर्शाता व इंगित करता है कि आय राज्य सरकार की है। यह तर्क स्पष्ट रूप से उचित नहीं है। जब हम इस प्रश्न का निर्णय कर रहे हैं कि क्या निगम द्वारा प्राप्त आय राज्य की आय है, तो धारा 30 द्वारा राज्य सरकार को शेष राशि सौंपने के लिए किया गया प्रावधान, कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। आय निस्संदेह निगम की आय है। धारा 30 के अन्सार केवल यह आवश्यक है कि उस आय का एक हिस्सा सड़क विकास के विशिष्ट उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को सौंपा जाए। यह सुझाया या दर्शाया नहीं गया है कि जब ऐसी आय राज्य को दी जाती है, तो यह राज्य के सामान्य राजस्व का हिस्सा बन जाती है। यह वह आय है जो एक दायित्व से प्रभावित होती है और जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा केवल उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए उसे सौंपा गया है। इसलिए, हम संत्ष्ट हैं कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त आय को अन्च्छेद 289 (1) के तहत राज्य की आय नहीं कहा जा सकता है और यदि ऐसा है, तो यह तथ्य कि अपीलकर्ता द्वारा की गई व्यापारिक गतिविधि अन्च्छेद 289(2) के अंतर्गत आ सकती है वास्तविता में अपीलकर्ता के मामले में कोइ सहायता प्रदान नहीं करता है। यद्यपि कोई भी व्यापारिक गतिविधि अन्च्छेद 289 (2) के अंतर्गत आती हो, यह संघ कराधान से छूट के लिए दावा तभी कायम कर सकता है जब यह दर्शित किया जाए कि उक्त व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त आय राज्य की आय है। इस प्रकार अंततः समस्या की जड़ यह निर्धारित करना है कि प्रश्न में आय राज्य की आय है या नहीं और इस महत्वपूर्ण परीक्षण पर अपीलकर्ता विफल रहता है।

एक और बिन्दु है जिस पर विद्वान महाधिवक्ता ने हमारे सामने शिथिलता पूर्वक दलील दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की सत्यता को चुनौती देने का प्रस्ताव नहीं किया है कि अपीलकर्ता एक स्थानीय प्राधिकारी नहीं है; लेकिन वह अपने इस तर्क को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे कि आयकर अधिनियम और अधिनियम के धारा 29 और 30 की चार्जिंग (प्रभारित) धारा के बीच प्रतिकूलता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस प्रतिकूलता पर उन्होंने निर्भर किया है, उसे देखते हुए , जो 1950 का अधिनियम संख्या 64 है, उसे आयकर अधिनियम जो कि 1922 का अधिनियम है पर अभिभावी होना चाहिए। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में बनाई गई कोईइ भी धारणा काे वैध नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि मूल आयकर अधिनियम 1922 में पारित किया गया था परंत् जैसा कि सर्वविदित है, हर साल एक नया वित्त अधिनियम पारित किया जाता है और आयकर का आकलन साल - दर - साल ऐसे क्रमिक वित अधिनियमों के आधार पर ही होता है और इसलिए, यह तर्क कि जिस अधिनियम पर अपीलकर्ता निर्भर करता है वह बाद के समय का है, विफल हो जाता है। इसके अलावा, वास्तविकता में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलता नहीं है। महाधिवक्ता द्वारा स्वयं को धारा 29 और 30 के प्रावधानों पर आधारित करते ह्ए यह तर्क दिया है कि ये दो प्रावधान यह परिकल्पित करते हैं कि अधिनियम में आयकर के भुगतान पर विचार नहीं किया गया है। यह तर्क पूरी तरह से ग़लत है।

अधिनियम के लिए यह प्रावधान करना शायद ही आवश्यक है कि कर , यदि प्रभार्य है , तो उसका भुगतान किया जाएगा। वास्तव में, कंपनी अधिनियम, जो कंपनियों से संबंधित है, ऐसा कोई भी विशिष्ट प्रावधान नहीं बनाता है। कोई भी गंभीरता से यह नहीं कह सकता है कि कंपनी

अधिनियम और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई प्रतिकुलता है। धारा 29 और 30 का उद्देश्य केवल निगम में निहित निधियों के प्रशासन और उनके निराकरण का प्रावधान करना है। यह तर्क देना कि उक्त प्रावधान आयकर अधिनियम द्वारा लगाए गए कर का भ्गतान करने की देनदारी के साथ असंगत हैं , यदि अविश्वसनीय नहीं है तो अवश्य ही अस्वभाविक है। निस्संदेह , महाधिवक्ता ने राज्य वितीय निगम अधिनियम , 1951 (1951 की संख्या 63) की धारा 43 के साथ - साथ दामोदर घाटी निगम अधिनियम , 1948 की धारा 43 पर निर्भर करके अपने तर्कों के लिए क्छ समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया है। धारा 43 जो उक्त दोनों अधिनियमों में प्रावधानित है , यह प्रावधान करती है कि निगम केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए आय पर किसी भी कर का भ्गतान एक कंपनी के समान ही और उसी सीमा तक ही करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह आग्रह किया जाता है कि जहां विधायिका केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए आय पर करों का भ्गतान करने के लिए निगम की देनदारी उपबंध करना चाहती तो इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए जाते और चूंकि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो यही माना जाएगा की विधायिका का यह आशय था कि अधिनियम के तहत स्थापित निगम द्वारा अर्जित आय पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि इस तर्क में कोई सार है .

धारा 43 का सम्पूर्ण उद्देश्य संभवतः यह उपबंध करना है कि कर इस आधार पर लगाया जाना चाहिए कि निगम एक कंपनी है और इससे अधिक कुछ भी नहीं। यदि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो इसका निगम की आय पर कर का भुगतान करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए, हम संतुष्ट है कि उच्च न्यायालय इस तर्क को खारिज करने में सही था कि अधिनियम के मूलभूत आधार और आयकर अधिनियम के मध्य प्रतिकूलता के आधार पर यह पारित किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी अपनी आय पर कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं है।

परिणामत: अपीलें विफल हो जाती हैं और एक सुनवाई शुल्क के जुर्माने के साथ अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंकित सिंघल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।